न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 194/2016/223 (2016/00194

1. नारायण पुत्र भोमा, जाति मेहरात, निवासी ग्राम भीमपुरा, तह0 नसीराबाद जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. नाथा पुत्र भोमा,
2. अमरा पुत्र राजू (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— सुभान पुत्र अमरा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1/1—ईलयास पुत्र सुभान,
   2/2— रहमान पुत्र अमरा,
   2/3— रसूल पुत्र अमरा,
   समस्त जाति मेहरात, निवासी ग्राम भीमपुरा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 25.4.2016 अंतर्गत वाद संख्या 34/2012.

उपस्थितः—

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 2/1/1 से 2/3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 22.01.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.4.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी चौसाला खसरा नंबर 509, 646, 647, 1126, 2328, 1001, 1328 के वर्किग खसरा नंबर 543, 1103, 1947, 2358, 1719, 2403 जिसके हाल खसरा नंबर 930 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 1679 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 2036 रकबा 0.53 है0, खसरा नंबर 2698/3024 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 2714 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 2753 रकबा 0.40 है0 एवं खसरा नंबर 806 रकबा 0.98 है0 भूमियां वाके ग्राम भीमपुरा में अवस्थित है । वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई है किन्तु विवादित भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई जबकि चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में वादी के दादा अज्जा पुत्र हमीरा के नाम भूमियां दर्ज थी एवं वर्किग खसरा नंबर 843 हाल खसरा नंबर 930 त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी गई जिसकी आड़ में प्रतिवादीगण वादी को विवादित भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है । इस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद वादी

स्वीकार किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.4.2016 को वादी का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने तथा रेस्पो0 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये सरसरी तौर पर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि वादी के दादा अज्जा पुत्र हमीरा के नाम चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 मे ंदर्ज थी जो कि वादी की पुश्तैनी भूमि है किन्तु प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर भूमि को अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि आवंटन के समय वादी एवं प्रतिवादी का संयुक्त परिवार था किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 परिवार में बड़ा सदस्य होने के कारण भूमि का उसके नाम आवंटन किया गया जबकि भूमि पर वादी का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु अधी0न्याया0 ने सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है । वादी के दादा अज्जा का देहांत होने पर उसके तीन पुत्र न्यामा, भोमा एवं मल्ला के नाम विरासत का नामांतकरण संख्या 113 स्वीकार किया गया था किन्तु वर्किग जमाबंदी में बंदोबस्त कर्मचारियों ने भूमि को प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी जिसका बंदोबस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं था । विवादित भुमि पुश्तैनी भूमि होकर संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी का जन्म से अधिकार है । इसी प्रकार विवादित भूमि खतौनी जमाबंदी फसली 1349 एवं चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 में वादी के दादा अज्जा पुत्र हमीरा के नाम बतौर खातेदार दर्ज है जिससे साबित है कि विवादित भूमि वादी की पुश्तैनी भूमि है किन्तु अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन नहीं कर वादी का वाद निरस्त करने मे त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी नारायण द्वारा अपीलाधीन भूमियों के संबंध में घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि चौसाला खसरा नंबर 509, 646, 647, 1126, 2328, 1001 एवं 1328 भूमियां वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के दादा अज्जा पुत्र हमीरा की खातेदारी की थी तथा दादा के समय से ही संयुक्त रूप से कब्जा काश्ते में चली आ रही है परन्तु वर्तमान राजस्व अभिलेख में गलत तौर पर अकेले प्रतिवादी संख्या 1 नाथा के नाम दर्ज कर दी गई जबकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अज्जा के वारिसान होकर आधे–आधे हिस्से के हकदार है । प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष जवाब पेश कर कथन किया कि वर्किग जमाबंदी में अपीलाधीन भूमियां प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 के की गैर खातेदारी में दर्ज है एवं नामांतकरण संख्या 60 दिनांक 20.5.1995 से खातेदारी दर्ज की गई है । जवाबदावे के पैरा संख्या 2 में यह कथन कि कि विवादित चौसाला खसरा नंबर अंतिम

चौसाला जमाबंदी में सिवायचक अंकित थी इस कारण सिवायचक भूमि बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ से कानूनन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गैर खातेदारी से दर्ज कर दी गई तत्पश्चात् खातेदारी अंकित कर दी गई । अपीलाधीन भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की निजी भूमियां है जिसमें वादी का कोई हक हिस्सा नहीं है । अतः वाद खारिज किया जावे ।

6. अधी0न्याया0 द्वारा पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर तीन तनकियात कायम की गई है । तनकी संख्या 1 के संबधं में अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया गया । चौसाला खसरा नंबर 509 स्पष्टतया अज्जा पुत्र हमीरा की खुदकाश्त दर्ज है । अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 के अज्जा के वारिसान होने का कथन कर विवादित आराजी खसरा नंबर 509 पुश्तैनी होने का कथन किया है । इस संबधं में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । खतौनी जमाबंदी संवत् 1349 फसली के अनुसार चौसाला साबिक खसरा नंबर 509 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि अज्जा वल्द हमीरा कौमम महरात साकिन देह दर्ज है । पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 509 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 843 कायम किये गये तथा खसरा नंबर 843 रकबा 0.26 है0 के हाल खसरा नंबर 930 रकबा 0.26 है0 कायम किये गये है । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2064 से 2067 के अनुसार अन्य खसरा नंबरान के साथ हाल खसरा नंबर 930 रकबा 0.26 है0 भूमि अमरा पुत्र राजू कौम मेहरात सा0 देह खातेदार के रूप में दर्ज है । अपीलांट का दौराने बहस यह कथन रहा है कि पक्षकारान के मध्य खसरा नंबर 509 रकबा 0.26 है0 को लेकर विवाद है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 के निर्णय में यह अंकित किया है कि खसरा नंबर 509 कई खातेदारों के नाम दर्ज है । सभी खातेदारान/वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है । इस आधार पर तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की है । विवादित आराजी खसरा नंबर 509 रकबा 0.26 है0 भूम अमरा पुत्र राजू कौम मेहरात के नाम किस प्रकार दर्ज हुई इस संबंध में अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया है एवं न ही इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश किये गये है । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 1 के संबंध में पारित निर्णय विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.4.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को पर्याप्त साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर